P: ISSN NO.: 2394-0344
E: ISSN NO.: 2455-0817
Remarking An Analisation
RNI No.UPBIL/2016/67980
Vol-I* Issue-VI*September - 2016

चमोली जनपद के भोटिया जनजाति के परम्परागत आचार, विचार एवं मान्यताओं में परिवर्तन का ऐतिहासिक अध्ययन

बचन सिंह
सहायक अध्यापक,
इतिहास विभाग,
रा0 इ0 का0 दूनागिरि,
अल्मोड़ा कुमाऊँ,
गढ़वाल

बीना सकलानी
एसोसिएट प्रोफेसर,
मानव शास्त्र विभाग,
हे0 न0 ब0 गढ़वाल
विश्वविद्यालय,
श्रीनगर, गढ़वाल

सारांश

भारतवर्ष के उत्तराखण्ड़ राज्य के सीमांत जनपद चमोली में स्थित जोशीमठ तहसील के सीमांत क्षेत्र में निवास करने वाले भोटिया जनजाति के लोग सदियों से इन दूरस्थ क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में रहते हुए अपनी परम्पराओं को संजोए हुए है। प्राचीन काल से भारत व तिब्बत के बीच व्यापारिक कार्यों को सम्पन्न कराने वाली यह जनजातीय समुदाय अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अभी तक भारतीय इतिहास में इस जनजाति के बारे में बहुत कम साहित्यिक जानकारी मिलती है। इनकी परम्पराओं व आचार–विचार एवं मान्यताओं के बारे में इस शोधपत्र के माध्यम से उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। पूर्ववर्ती लेखनों के अभाव में यह शोधपत्र साक्षात्कार व अवलोकन पर आधारित है।

परम्पराओं में होने वाले परिवर्तनों से स्पष्ट हो जाता है कि परिवर्तन मानव समाज का एक अनिवार्य घटक है। यद्यपि किसी विषय विशेष या समस्या पर वैचारिक मतभेद होने के कारण कई अवसरों पर परिवर्तन के कारण परिवार व समाज में कलह की स्थिति भी आ जाती है, जो कि स्वाभाविक है। इस प्रकार से नीती घाटी का मारछा व तोलछा (रोंग्पा) समाज अपने आसपास के पड़ोसी समाज की सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित हुई। इस क्षेत्र की सभी समुदायों की पारिवारिक व्यवस्था तथा सामाजिक परम्पराएं लगभग समान है, महिलाओं की स्थिति मारछा व तोलछा भोटिया समाज में अन्य समाज से बहुत अच्छी है। शोधपत्र में उन सभी तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जायेगा जिससे इसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी।

मुख्य शब्द : सोरे – नजदीकी रक्त सम्बन्धी, ज्यठूँण – बड़े भाई का हिस्सा। सौंत्यला बाँट –सौतेली माँ से उत्पन्न संतान,रीण–कर्ज – उधार माँगा गया धन, सिल्दू – फाफर का गूंदा हुआ आटा, च्यूंचू – सिल्दू से बना शंकुनुमा आकृति, जान – अनाज से बना घरेलू पेय। घरजवाँई – ससुराल में बसने वाला पुरूष, दाणपुजै – पित्रपूजा ध्याणी – दूसरे गाँव में व्याही लड़की,तिमासी – उपहार स्वरूप दिया जाने वाला धन, मांगल्योर – मांगलिक गीत गाने वाली महिलाएं,ठाँटू – दुल्हन को दहेज के रूप में एक सफेद कपड़ा दिया जाने वाला कपड़ा,छुबलू – सर में पहना जाने वाला वस्त्र जो माथे पर चमकीला होता है, आँगडू – शरीर के ऊपरी भाग ढ़कने का वस्त्र,घाघरू – शरीर के निचले भाग को ढ़कने का वस्त्र,फै – एक प्रकार का मखमली कपड़ा, थय्या – थाली में रूपये रखकर मोलभाव करना,दुधामोल – दूध की कीमत,स्यमान्या – स्वागत सम्बोधन हेतु प्रयुक्त वाक्य,पिठांई – सिंदूर, छाक छोड़ना – मृतक व्यक्ति के शोक में भोजन त्यागना,पागडू – कमर कसनी, थपका – मादा बकरी के बालों से बनी रस्सी, सुल्टू ह्वोण – शुद्धिकरण करना,ओल ड़ालना – पर्दा करना,खर्क – पैदल मार्ग में रूकने का स्थान,भारकण्ड़ी – सामग्री ले जाने की कण्ड़ी,गेंणा – तारे,गदेरा – नाले,मितर – साथी, सहयोगी।

प्रस्तावना

भारतवर्ष के उत्तरी सीमा पर स्थित उत्तराखण्ड राज्य के सीमांत जनपद चमोली में सदियों से भारत व तिब्बत के बीच व्यापार करने वाली भोटिया जनजाति (मारछा व तोलछा) निवास करती हैं। जो अपनी विशिष्ट परम्परा,

P: ISSN NO.: 2394-0344 **Remarking An Analisation**
E: ISSN NO.: 2455-0817 RNI No.UPBIL/2016/67980 Vol-I* Issue-VI*September - 2016

आचार व व्यवहार के कारण आज भी अपनी विशिष्टा को बनाए हुए है। चमोली जनपद के मारछा व तोलछा जनजातीय समाज में धार्मिक कार्यों को कुछ सामाजिक नियमों के आधार पर सम्पन्न करते थे, इन परम्परागत नियमों का यह समुदाय पूरे 'मान–मर्यादा'(सम्मान) से पालन करता था। इस प्रकार से यह एक व्यवस्थित समाज था, जिसमें किसी बड़े से बड़े कार्य को सम्पन्न कराने के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई नही होती थी। इन नियमों को चलाने के लिए कोई न्यायालय नही होता था। गाँव के मुखिया (पदान) तथा अन्य गणमान्य व्यक्तिों के द्वारा गाँव की हर समस्या का निपटारा किया जाता था।[1] इसका मुख्य कारण था कि इस जनजाति के सभी लोग अपने से बुजुगों तथा गणमान्य लोगों का सम्मान करते थे और इनके द्वारा कहे गये कार्यों व किसी समस्या पर दिये गये निर्णयों को स्वीकार कर आत्मसात करते थे। समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए लोग ऐसा कोई काम नही करते जिससे समाज में उन्हें बदनाम होना पड़े। उस समय सामाजिक प्रतिष्ठा (इज्जत) 'नाक' माना जाता था।[2] गाँव के बुजुर्ग आज भी कहते है कि फलाँ आदमी ने लड़के ने अच्छा काम करके अपने पिता की 'नाक' रखी। किसी को सचेत करने के लिए कहते है कि ''नाक नि कटाया वां'' अर्थात बेइजत्ती मत करवाना।

नीती घाटी मे प्रचलित सामाजिक मान्यताएं एवं परम्पराएं

उत्तराधिकार तथा सम्पत्ति का बँटवारा

पिता की सम्पत्ति पर सबसे पहले पुत्रों का उत्तराधिकार होता है, यदि पुत्र न हो तो निकट रक्त–सम्बन्धी भाई, भतीजे को यह उत्तराधिकार मिलता है। 1970 ई0 के बाद पुत्र के पश्चात पुत्री को भी सम्पत्ति का अधिकार दिया जाने लगा है, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित। लेकिन कालान्तर से चली आ रही बँटवारे की परम्परानुसार पुत्र का ही सम्पत्ति पर अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का बँटवारा किसी पंचायत के द्वारा न होकर समाज के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों व परिवार के सदस्यों के सम्मुख किया जाता है, जो बँटवारे के हर पहलू का भली–भाँति अवलोकन करते और प्रत्येक को बराबर हिस्सा बाँटने का हरसम्भव कोशिश करते है।

निःसंतान विधवा अपने पति के मृत्यु होने पर सम्पत्ति की पूर्ण उत्तराधिकारी होती है। यदि परिवार संयुक्त भी हो तो पति की संपत्ति पर पत्नी का ही अधिकार होता है, लेकिन सन्तान होने पर चाहे विधवा दूसरा विवाह करे उसकी संतान भी अपने पिता की सम्पत्ति का पूर्ण हकदार होता है। यदि सम्पत्ति का उत्तराधिकारी कोई न हो तो यह अधिकार उस व्यक्ति के 'सोरे' (नजदीकी रक्त सम्बन्धियों) को मिलता है।[3] सम्पत्ति का बँटवारा सभी भाइयों में बराबर–बराबर बाँटा जाता है, चाहे छोटा भाई अविवाहित क्यों न हो। सबसे बड़े भाई को छोटे भाइयों से अलग से कुछ चल व अचल सम्पत्ति दिया जाता था, जिसे तोलछा बोली में 'ज्यठूँण' कहते थे।[4] सबसे बड़े भाई का हिस्सा उत्तर दिशा में दाई हाथ की ओर का कमरा दिया जाता था।

एक से अधिक विवाह होने वाले पुरूष की सम्पत्ति का बँटवारा को 'सौंत्यला बाँट' कहते थे।[5] सम्पत्ति के बँटवारे के समय पिता या घर के मुखिया का किसी से 'रीण–कर्ज' (लेन–देन) का विवरण भी बताया जाता था। ताकि बँटवारे की सम्पत्ति से कर्ज को लौटाया जा सके। पिता के जीवित रहते हुए पैत्रिक सम्पत्ति का बँटवारा नही होता था। यह पिता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह वसीयत बनाता है या अपने जीते जी बँटवारा कर देता है।

गोद लेना

किसी व्यक्ति के पुत्र न होने पर अपने ही जीवनकाल में दूसरे के बालक को गोद लेना, तथा उसे अपनी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाने की प्रथा चमोली जनपद के मारछा व तोलछा समाज में प्रचलित है। गोद लिया पुत्र अपने रक्तसम्बन्धियों या गोत्र का होना चाहिए। गोद लेते समय गाँव के लोगों व सगे–संबन्धियों को बुलाकर 'सिल्दू' (फाफर का गूदा हुआ आटा), 'च्यूंचू' (सिल्दू से बना शंकुनुमा प्रसाद) व 'जान' (अनाज से बना पेय) से पूजा की जाती है।[6] नौकरीपेशा वर्ग द्वारा शहरों में बच्चों को गोद लेने से सामाजिक प्रतिबन्ध शिथिल हो रहे है। जिसको भी बच्चा गोद लेना होता है, अपनी इच्छानुसार बच्चा गोद ले रहा है।

घरजवैं (घरजवाँई) प्रथा

विवाह के बाद अपने ससुराल में रहने वाले व्यक्ति को घरजवाँई कहते है। भोटिया जनजाति के इन परम्परागत व्यापारियों का स्वभाव स्वाभिमान से भरा होने के कारण ये घरजवाँई बनना पसन्द नही करते है। घरजवाँई रहने के पीछे कई कारण होते है। जैसे– किसी ऐसे व्यक्ति जिसका कोई पुत्र नही है और वह स्वेच्छा से अपने दामाद को अपने घर में रखता है। जिसके बाद उसे विधिवत पुत्र के समान अधिकार प्राप्त हो जाते है। यदि किसी व्यक्ति के घर में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह अपने घर पर नही रह सकता तो लड़की का पिता अपनी लड़की की खुशी के लिए उसे अपने घर में रखता है और अपनी जायजाद में से कुछ भाग उसे देते है।[7] इस प्रकार उसे उस घर में पर्याप्त अधिकार प्राप्त हो जाते है। भारतीय संविधान के अनुसार विवाहित हो या अविवाहित लड़की का अपने पिता की संपत्ति पर पूर्ण उत्तराधिकार होता है।[8]

विवाह सम्बन्धी नियम

नीती घाटी के मारछा–तोलछा (रोंग्पा) जनजाति में विवाह के लिए माता–पिता ही पूर्ण जिम्मेदार होते थे। जिनके द्वारा तय किया जाता था कि विवाह कब और कहाँ किया जाय। इसके लिए लड़का व लड़की की सहमति जरूरी नही होती थी। इनको तो शादी के समय तक यह पता नही होता था कि शादी किस लड़की या लड़के से हो रही है। 1967 ई0 से पहले तक तोलछा वर्ग का मारछा वर्ग में कुछ अपवादों को छोड़कर वैवाहिक सम्बन्ध नही होता था।[9] नीती घाटी के मारछा लोगों के विवाह मारछों में व तोलछे लोगों का तोलछों में होता था, परन्तु एक गाँव व रक्त–सम्बन्धियों में विवाह नही होता था। 1962 ई0 के बाद में तोलछा वर्ग अपनी लड़कियों का विवाह मारछा वर्ग से कर देता था, परन्तु लड़के की शादी मारछा लड़की से वर्जित था।[10] उनका मानना था कि यदि मारछा लड़की से विवाह करते है तो हमारी जाति की श्रेष्ठता समाप्त हो जायेगी। परन्तु समय बदला और इस

P: ISSN NO.: 2394-0344 **Remarking An Analisation**
E: ISSN NO.: 2455-0817 RNI No.UPBIL/2016/67980 Vol-I* Issue-VI*September - 2016

समाज के लोगों में विवाह सम्बन्धी कट्टर में शिथिलता आयी और वर्तमान में इस (नीती घाटी) जनजातीय समाज में विवाह सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नही है। जौहार के भोटान्तिको का विवाह सम्बन्ध नीती व माणा के भोटान्तिको के साथ होता था।[11] जौहार के लोगों के साथ आज भी कुछ परिवार के लोगों का विवाह होता है। शोध के दौरान शोधार्थी ने पाया कि जौहार वालों को लड़की तो व्याही गयी परन्तु जौहार से लड़की नही लायी गयी है। परम्परागत नियम के अनुसार विधवा की पुनर्विवाह नही होता था। यदि किसी विधवा से कोई व्यक्ति विवाह करना चाहता तो उसे उसके घर से उठाकर ले जाता था। जिसका विधवा औरत के पक्ष को भनक न लग सके। इस प्रकार का विवाह बिना घर के लोगों को बताये चुपके से होती थी।[12] जिस विवाह को 'दाणपुजै' (पित्रपूजा) करने के साथ मान्यता प्राप्त होता था।

'तिमासी'

1962 ई0 पूर्व तक 'तिमासी' के रूप में तीन आना देने की प्रथा थी। हर व्यक्ति अपने घर पर आयी 'ध्याणी' (दूसरे गाँव में व्याही लड़की) को 'तिमासी' देता था।[13] धीरे–धीरे जब ये लोग साधन सम्पन्न होने लगे तो 'तिमासी' का मूल्य भी बढ़ने लगा और 1990 ई0 तक 5 रूपया 'तिमासी' के रूप में दिया जाता था। आज वर्तमान में अपनी–अपनी हैसियत के अनुसार 10, 20 से 50 रूपये तक 'तिमासी' दिया जाता है। 'तिमासी' के अनेक नाम होते है। धियाणी को दिया जाने वाली तिमासी 'ध्याणी तिमासी', मांगल्योर महिलाओं को दिया जाने वाला तिमासी 'मंगल्योर तिमासी', दूल्हन के सहेलियों को दिया जाने वाला तिमासी 'दग्ड्या तिमासी', दूल्हे की स्यालियों को दिया जाने वाला तिमासी 'स्यायी तिमासी' आदि के नाम से जाने जाते थे।

स्त्रीधन (दहेज)

किसी भी महिला के वस्त्र व आभूषणों व सम्पत्ति पर केवल उसकी पुत्री का ही अधिकार होता है। यदि महिला की पुत्री न हो तो तब उस पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। कन्या को विवाह के समय प्राप्त समस्त उपहारों पर उसका अधिकार होता है, आज से 30 वर्ष पूर्व तक दुल्हन को दहेज के रूप में एक सफेद कपड़ा दिया जाता था जिसे 'ठाँटू' कहते थे। इसके अलावा छुबलू(सर ढ़कने का वस्त्र), आँगडू(शरीर के ऊपरी भाग ढ़कने का वस्त्र), घाघरू(शरीर के निचले भाग को ढ़कने का वस्त्र) व 'फै'(एक प्रकार का मखमली कपड़ा) देने की परम्परा थी।[14]

चमोली जनपद की मारछा व तोलछा वर्ग में हिन्दू मान्यताओं को अपनाये हुए है। लेकिन इन मान्यताओं में इतनी कठोरता नही है। दहेज जैसी कुप्रथा मारछा व तोलछा (रोंग्पा) समाज 1980 ई0 तक नही थी। इस समय दुल्हन को दहेज नही बल्कि दूल्हे को लड़की की कीमत देनी पड़ती थी, जिसे 'थय्या' (कच्चा–पक्का) कहते थे।[15] लड़की की माँ को बेटी के लालन–पालन का 'तिमासी' (मोल) दिया जाता था, जिसे 'दुधामोल' कहते थे।[16] आज के परिप्रेक्ष्य में दहेज रूपी दानव इस समाज में प्रवेश कर चुका है। कई लोग जिनके पास पर्याप्त धन है वे अधिक दिखावा करने के लिए दहेज देते है जिसका प्रभाव इस समाज पर पड़ा। कुछ अपवादों को छोड़कर दहेज का प्रचलन नीती घाटी क्षेत्र में पिछले 15 या 20 सालों में अधिक दिखाई देने लगा है, जो वर्तमान में चरम पर है। आज लोग अधिक दिखावे के कारण दहेज के रूप में अधिक सामान दे रहे है।

स्वागत सम्बोधन (स्यमन्या)

'स्यमन्या' यह अतिथि सत्कार की एक विशिष्ट परम्परा है। इस क्षेत्र के लोगों का मानना है कि नीती घाटी का यह पुण्य स्थल शिव की तपोभूमि रही है, इसलिए ये लोग अपने अतिथि के स्वागत में 'शिवमान्या' कहते थे,[17] जो कालान्तर में बदलकर 'स्यमान्या' हो गया है। जिसका अर्थ होता है 'शिव मान्य है'। वर्तमान में बुजुर्गों को छोड़कर नवयुवक पीढ़ी 'नमस्कार' या नमस्ते कहने लगे है।

हरिहर प्रथा

किसी बड़े सामूहिक कार्य या शादी–विवाह के अवसर पर खाना खाने से पहले एक वाक्य 'हरिहर' कहकर देवताओं को स्मरण करते थे।[18] उसके बाद खाना खाते थे, परन्तु आज के समाज में युवा पीढ़ी इस प्रथा को भूलने लगे है। खाना मिलते ही खाना शुरू कर देते है यदि कोई बुजुर्ग इसका विरोध करता है तो उसका कहना नही मानते व उल्टा उन्हें कहते है कि "तुम पुराने नियमों को न चलाओं जमाना बदल गया है तुम भी बदल जाओ"। वर्तमान में बैठकर खाने की अपेक्षा खड़े होकर स्वयं खाना निकालकर खाने की प्रथा के कारण 'हरिहर' प्रथा को भूलने लगे है। लेकिन घरों में बुजुर्ग आज भी खाने से पहले 'हरिहर' कहने बाद ही खाना शुरू करते है।

मृत परिवार पर सामाजिक प्रतिबन्ध

मृतक व्यक्ति के परिवार के लोग 'छाक छोड़ते' (एक समय का भोजन त्यागते) है। परिवार तथा 'स्वारा–प्याड़ा' (नजदीकी रिश्तेदार) के घर पर तेल से बनने वाली चीजें नही खाई जाती है। मृतक की पत्नी अपनी सुहाग का प्रतीक छुबला को त्याग देती हैं और सालभर उल्टे कपड़े पहनती थी। कमर पर 'पागडू' (कमर कसनी) के स्थान पर 'थपका' (कठाले के बालों से बना रस्सी) बाँधती है। मृतक के घर पर सात दिन बाद 'त्योलचखै' होता है, जिसमें पंड़ित को बुलाकर वैदिक मंत्रोचार के साथ शुद्धिकरण होता है। इस दिन के बाद तेल का प्रयोग खाने में किया जाता है।

माता के मृत्यु पर एक साल के लिए दूध, भाई के मृत्यु पर माँस छोड़ा जाता है। नीती माणा घाटी के भोटिया लोग मृतक व्यक्ति के चिता के भस्म को मिट्टी के एक पात्र में रखकर मृत्यु के एक वर्ष के अंदर सतोपंथ हिमनद के कुंड़ में डाल देते थे।[19] वर्तमान में मृतक की मूर्ति को पवित्र स्थानों पर डाल देते है, जिसे 'पत्यूण स्यवूण' कहते है। सालभर के बाद विधवा महिला को 'ध्याणी' के रूप में मायके वाले बुलाते थे और उल्टे कपड़ों को हटाकर नये सुल्टे कपड़े पहनाकर ससुराल भेजते थे। इसे 'सुल्टू ह्वोण' (शुद्धिकरण) कहते थे।[20] वर्तमान में इन नियमों में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है।

P: ISSN NO.: 2394-0344
Remarking An Analisation
E: ISSN NO.: 2455-0817 RNI No.UPBIL/2016/67980 Vol-I* Issue-VI*September - 2016

पर्दा प्रथा (ओल ड़ालना)

समाज में महिलाओं को सर ढ़ककर रहना पड़ता है, जिसे स्थानीय बोली में 'ओल ड़ालना' कहते है। यह इस जनजातीय समुदाय के महिलाओं द्वारा पुरूषों के सम्मान का प्रतीक था, जिसका सम्बन्ध सीधा महिला के आचरण से जोड़ा जाता था। बिना सर ढ़के गाँव के लोगों के सामने से नही गुजरती थी।[21] नवविवाहित दुल्हन घर में व घर के बाहर भी घूँघट ड़ालकर चलती है। परन्तु आज परिस्थिति कुछ और है, घर की महिला सर में घूंघट नही रखती, सर ढ़कने के नाम पर नाम मात्र का 'सप्पा' (बड़ा रूमाल) रखती है। कोई–कोई महिला तो नंगे सर ही ससुर या जेठ जी के साथ बात करने लगती है, जिससे सामाजिक सम्मान में कमी आने लगी है। जिसे देखकर बड़े बुजुर्ग कहते है कि अब तो हमें इस प्रकार के नजारे देखकर 'शरम' (लज्जा) लगने लगती है।

सम्बोधन संस्कार

मारछा व तोलछा समाज में अपने से बड़े व्यक्ति को उसका नाम लेकर सम्बोधित नही किया जाता था ऐसा करना बड़ो का अनादर समझा जाता था। यहाँ तक कि महिला अपने पति तथा पति अपनी पत्नी का नाम भी नही लेते थे। जब कभी उन्हे पुकारना होता था तब तुम (आप) कहकर बात करते थे। यदि बच्चा या बच्ची हो तो बच्चे का नाम के साथ पिता व माता कहकर पुकारती थी। जैसे– पिया के पापा, या यश की मम्मी आदि। यदि गाँव के किसी बच्चे का नाम उनके (बहू के) ससुर व जेठ के समान नाम होता है तो उस बच्चे को उसके उपनाम से पुकारती थी। ससुर अपनी बहुओं को जैसे– चैतू ब्वारी, रामू ब्वारी आदि कहकर पुकारते थे। आज भी ऐसा होता है कि जब कभी किसी बहू को अपने सास, जेठ या पति का नाम बताना हो तो वह अपने मुँह से उनका नाम नही पुकारती बल्कि किसी दूसरे के सहयोग से बुलवाती थी। परन्तु कभी–कभी मजबूरन नाम बताना होता तो तब भी अन्य लोगों को सम्बोधित करके बताती थी। वर्तमान में अपने से बड़ों का नाम लेना बुरा नही माना जाता है। इस प्रकार का व्यवहार आज भी उन लोगों में देखने को मिलता है जो आज 50 से 60 वर्ष के हो गये है। नयी पीढ़ी किसी का भी नाम लेने में झिझकते नहीं है। अब पति–पत्नी एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते है। बच्चे को और कुछ बोलना आये न आये पर बड़ों के नाम आसानी से बोल रहे है।

स्वागत व विदाई सत्कार

शादी–व्याह मे दूल्हा व दुल्हन के स्वागत करने तथा विदाई के समय माँगल गीत गाते है। स्वागत सम्बोधन में 'स्यमन्या' कहकर अतिथि का स्वागत करते है, तथा 'भल्कै जाया' (अच्छे से जाना) कहकर विदा करते है। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें घर आये मेहमान या धियाणी को गाँव के छोर तक पहुँचाने जाते है।[22] आज भी किसी बड़े सामूहिक कार्य के अवसर पर मुख्य अतिथि के स्वागत हेतु ढ़ौल–दमाऊ सहित जाते है। शादी व्याह में लगे गेट पर सामने 'स्यमन्या' या स्वागतम और पीछे की ओर 'भल्के जाया' या धन्यवाद लिखा रहता है।

प्रवास यात्रा

सदियों पहले जब तिब्बत व्यापार चलता था तो तब शीतकालीन आवास की ओर चलते समय ये तीन टोलियों में चलते थे। एक वर्ग जिसमें परिवार का मुखिया व अन्य पुरूष होते थे जो जोशीमठ से आगे चमोली, श्रीनगर, पौड़ी, सतपुली, द्वारहाट, दोगड्डा होते हुए रामनगर की मण्ड़ियों में सामान का विक्रय करता हुआ पहुँचता था। दूसरा वर्ग महिला व बच्चों का होता था, जो कुछ सामग्री अपने पीठ में लादकर रास्ते में आने वाले अपने गढ़वाली मित्रों के साथ नमक व ऊन के वस्त्र बेचकर खाध्य सामग्री एकत्र करता था। तीसरा वर्ग उन पुरूषों का था जो पालतू पशुओं को लेकर चारागाह में जाता भेड़–बकरी चराने व ऊन कातने में अपना समय व्यतीत करता था।[23]

पड़ाव (खर्क) के नियम

नीती घाटी मे सदियों पहले जब तक यातायात के लिए सड़के तथा वाहन आदि की सुविधाएं नही थी, उस समय ये लोग अपने शीतकालीन आवासों से ग्रीष्मकालीन आवासों में पैदल यात्रा करते थे। अपने सामान को लाने व ले जाने के लिए घोड़, बैल, चौंरगाय, जोबा, भेड़, बकरी आदि पालतू पशुओं का इस्तेमाल करते थे। इनके रूकने के स्थानों को 'खर्क' (पड़ाव) कहते हैं। नीती घाटी में स्थित परम्परागत आवासों से निचले क्षेत्र के गाँवों में आने में 9 से 10 'खर्क' (पड़ाव) आते थे। खर्क से चलते समय सबसे पहले घोड़े फिर गाय उसके बाद बकरी और अन्त में गाय बछड़े लेकर महिलाएं आती थी। महिलाओं के पीठ पर 'भारकण्ड़ी'(खाध्य सामग्री से भरी कण्ड़ी) तथा जिस महिला का छोटा बच्चा होता वह उसे उस कण्ड़ी के ऊपर कपड़े में लपेटकर रखा होता था।[24] खर्क उस समय मारछा व तोलछा भोटिया लोगों के पहचान थी तथा इन स्थानों के आस–पास रहने वाले लोगों से इनकी मित्रता रहती थी, जिनसे इनका वस्तुविनिमय व घास आदि की व्यवस्था हो जाती थी। शाम को जल्दी खाना खाकर सो जाना और सुबह तड़के उठकर अगले खर्क को चलते थे।

नीती से अलकनन्दा घाटी के किनारे की ओर स्थित निचले गाँवों तक आने के पड़ाव थे – नीती से स्यामा खर्क – तमक या गाड़ी गदेरा – समूण गेट्ठा – लाता खर्क – तातू पाणी या सलधार – मेरग परसारी – झड़कुला –पैनी या अणमठ – गुलाबकोटी या हेलंग – लंगसी या पतालगंगा – पाखी – पीपलकोटी – गड़ोरा/मायापुर – बिरही – भीमतला या छेत्रपाल तक।[25]

1962 ई0 के बाद इस क्षेत्र में सड़क निर्माण होने तथा परिवहन के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने से 1990 ई0 से पहले तक एक बड़े 'ट्रक' में कई परिवार (लगभग 8 से 10 परिवार) के लोग एक साथ आते थे। तब यह वाहन सुबह से रास्ते लगता था और धीरे–धीरे चलकर शाम या रात तक निचले क्षेत्र के गाँवों में पहुँचाता था। वर्तमान में नीती घाटी के लोग प्रवास के लिए छोटे वाहनों का प्रयोग कर रहे है। जिनमें एक या दो परिवार एक साथ मिलकर आ रहे हैं और समय पर अपने घर पर पहुँच जाते हैं। जैसे – सुबह 6 बजे चला परिवार 3 बजे तक आराम से गाँव पहुँच जाता हैं।

P: ISSN NO.: 2394-0344 **Remarking An Analisation**
E: ISSN NO.: 2455-0817 RNI No.UPBIL/2016/67980 Vol-I* Issue-VI*September - 2016

1970–75 ई0 से पहले गाँव के लोग मिलजुल कर रहते थे और जब गाँव में सभी परिवारों का काम समाप्त हो जाता था तब सभी लोग एक साथ अपने निचले गाँवों के लिए प्रस्थान करते थे। लेकिन धीरे–धीरे पिछले 10–15 वर्षों से ये लोग अपना–अपना काम समाप्त करते ही एक या दो परिवारों के साथ निचले क्षेत्र के गाँवों की ओर चल देते हैं। जिस कारण इन लोगों की आपसी सौहार्द और स्नेह व सहयोग की भावना में ह्रास दिखाई देता है।

उद्देश्य

शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य नीती घाटी के जनजातियों के मान्यताओं एवं परम्पराओं से बाहरी समाज को अवगत कराना तथा इस समाज में बहुत तेजी से हो रहे सामाजिक परिवर्तन के कारण पड़ने वाले प्रभाव को उजागर करने का प्रयास किया गया है। किसी भी समाज के अस्तित्व को बचाये रखने के लिए उसकी परम्पराओं का बने रहना आवश्यक होता है। जब समाज बदलता है तो उसकी परम्पराओं व आचार–विचारों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है लेकिन परम्पराओं का समाप्त होना उसके अस्तित्व पर संकट होता है। चमोली जनपद के भोटिया जनजाति के मारछा व तोलछा वर्ग में परिवर्तन की गति बहुत तीव्र हुई है, जिसे अगर समय रहते यहाँ के बुद्धिजीवियों द्वारा नही रोकने की कोशिस की गयी तो अन्य जनजातियों की भाँति यह जनजाति भी विलुप्त हो जायगी।

निष्कर्ष

आज इस समाज में आने वाले परिवर्तन का मुख्य कारण तिब्बत व्यापार का बन्द होना, शिक्षा और नौकरी रहा हैं। 1970 ई0 से पहले इस जनजातीय समाज के सभी लोग अपने से बड़े लोगों का आदर व सम्मान करते थे। घर में किसी भी काम को करने की सलाह परिवार के मुखिया से ली जाती थी। अपने से बड़े आदमी या भाई का कहा काम छोटा भाई बिना कारण पूछे करता था। लेकिन आज समाज में किसी भी काम करने से पहले कारण पूछते है यदि मन किया तो उनका कहा काम करते है और यदि मन नही किया तो काम को बहाना बनाकर या सीधे शब्दों में टाल देते है। 1962 ई0 में तिब्बत व्यापार बन्द होने के बाद 1970 ई0 तक कठिन आर्थिक संकट का समय था। इस बीच इस समुदाय के लोग अपने परम्परागत व्यवसाय के स्थान पर अन्य व्यवसाय की खोज में भटकने लगे। कुछ लोग शिक्षा व नौकरी पाने के लिए निचले क्षेत्र में जाकर बसने लगे, तो कुछ लोग कृषि व ऊनी व्यवसाय को महत्व देने लगे। ऊनी व्यवसाय करने वाले परिवार ही भेड़–बकरी पालन करने लगे, अन्य लोगों ने पालतू जानवरों की संख्या में कमी आने लगी थी। जब से समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगा तो तब से इन लोगों ने अपने समाज में सदियों से रहने वाली प्रथाओं तथा नियमों को त्याग दिया और अपने स्वेच्छानुसार कार्य करने लगे हैं। लोक स्मृतियों के आधार पर शोधार्थी ने पाया कि इस समाज के लोगों का परम्पराओं पर विश्वास कम होना, अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण समय का अभाव, अच्छी नौकरी पाने पर अपने को ग्रामीण जनमानस से विलग करना तथा व्यक्तिगत स्वार्थ परम्परागत नियमों में बदलाव का कारण हैं। किसी भी नियम का पालन परम्परानुसार नही किया जा रहा है। आधुनिक पीढ़ी को जो अच्छा लग रहा है या जैसा समय मिल रहा है उसी प्रकार से उसे निपटाया जा रहा है। वर्तमान में भी ये सदियों पुरानी परम्पराओं को निभाना मात्र औपचारिक्ता बनकर रह गई है। यदि समय पर इस समुदाय के लोगों द्वारा अपनी परम्पराओं को संजोये रखने के लिए प्रयत्न नही किये तो बहुत जल्दी यह समुदाय इतिहास के पन्नों में कहीं गुमनाम हो जायगा।

इस समुदाय के बुद्धिजीवियों को इसे बचाये रखने के लिए प्रयत्न करने चाहिए तथा सरकार से भी इस समुदाय को बचाने के लिए सहयोग के लिए सम्बन्धित मंत्रालय के माध्यम से यथासम्भव प्रयत्न से संजोए रखने का प्रयत्न करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. साक्षात्कार – श्री नारायणसिंह राणा, ग्राम–जेलम, उम्र– 70 वर्ष, 27/10/2011।
2. साक्षात्कार – श्री बचन सिंह राणा, ग्राम–मलारी, उम्र– 56 वर्ष, 18/10/2011।
3. पाँगती, शेर सिंह (1992) – मध्य हिमालय की भोटिया जनजातिः जौहार के शौका, पृ0 94।
4. उपरोक्त।
5. पाण्ड़े, बद्रीदत्त (1990) – कुमाऊँ का इतिहास, पृ0 543, तथा साक्षात्कार – श्री लाल सिंह राणा, ग्राम–नीती, उम्र–82 वर्ष, 8/3/2012।
6. साक्षात्कार – श्री नारायण सिंह राणा, ग्राम–जेलम, उम्र–70 वर्ष, 27/10/2011।
7. साक्षात्कार – श्री जगत सिंह पाल, ग्राम–बाम्पा, उम्र–75 वर्ष, 22/9/2010।
8. पाँगती, शेर सिंह (1992) – मध्य हिमालय की भोटिया जनजातिः जौहार के शौका, पृ0 93।
9. साक्षात्कार –श्री बचन सिंह राणा ग्राम–मलारी, उम्र–56 वर्ष, 18/10/2011।
10. कठौच, डॉ0 यशवंत सिंह (2007) – गढ़वाल का इतिहास, पृ0 52, एवं साक्षात्कार – श्रीमती जेठुली देवी बिष्ट, ग्राम–सेंगला, उम्र–83 वर्ष, 28/10/2011।
11. वाल्टन, एच0 जी0 (1910)– गजेटियर गढ़वाल हिमालय, पृ0 54।
12. जोशी, अवनीन्द्र कुमार (1983)– भोटान्तिक जनजातिः ऐतिहासिक,सॉस्कृतिक एवं सामाजशास्त्रीय अध्ययन, पृ0 38।
13. साक्षात्कार – श्रीमती जेठुली देवी, ग्राम–सेंगला, उम्र–83 वर्ष, 28/10/2011।
14. साक्षात्कार – श्रीमती च्यामा देवी, ग्राम–फरकिया गॉव, उम्र–74 वर्ष, 21/9/2011।
15. साक्षात्कार – श्री जगत सिंह पाल, ग्राम–बाम्पा, उम्र–75 वर्ष, 22/9/2011।
16. साक्षात्कार – श्रीमती इन्द्रा देवी रावत, ग्राम–कोषा, उम्र–75 वर्ष, 20/9/2011।
17. साक्षात्कार – श्री नारायणसिंह राणा, ग्राम–जेलम, उम्र– 70 वर्ष, 27/10/2011।

18. साक्षात्कार – श्री रामकिशन सिंह रावत, ग्राम–लाता, उम्र–52 वर्ष, 26/4/2012।
19. एटकिंसन, ई0 टी0 (1873) – गढ़वाल हिमालय गजेटियर, ग्रन्थ 3, भाग 1, पृ0 109।
20. चौहान, आलम सिंह (1998) –रंड्पा, पृ0 53।
21. साक्षात्कार – श्रीमती जौमती देवी खाती, ग्राम–नीती, उम्र–80 वर्ष, 8/3/2012।
22. जोशी, अवनीन्द्र कुमार (1983)– भोटान्तिक जनजातिः ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजशास्त्रीय अध्ययन, पृ0 33।
23. ड़बराल, शिवप्रसाद (1981) – उत्तराखण्ड़ के भोटान्तिक, पृ0 92।
24. साक्षात्कार – श्रीमती राधा देवी राणा, ग्राम–मलारी, उम्र–63 वर्ष, 19/10/2011।
25. साक्षात्कार – श्री बाल सिंह राणा, ग्राम–लाता, उम्र–84 वर्ष, 14/8/2012।